

फा०11058/2021/प्रा.शि.संगीत/चय.वे/केविसं(मु०)/आरपीएस/1756-1780

दिनांक: 01.06.2022

### कार्यालय आदेश

विभागीय स्क्रिनिंग समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निम्नलिखित प्राथमिक शिक्षक (संगीत) को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) के पत्र सं.एफ.5-180/86-यूटी-1/ दिनांक 12-08-1987, 03-11-1987 एवं 06-02-1989 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार पेंडिंग -2 ₹ 9,300-34,800 के साथ ग्रेड पे ₹ 4,800 (6<sup>वें</sup> सीपीसी) व लेवल-8 (7<sup>वें</sup> सीपीसी) के साथ चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है बशर्ते कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षक (संगीत) के पद पर प्राप्त वरिष्ठ वेतनमान में 12 वर्ष की सेवाएं पूर्ण की हों तथा वह चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि तक उसी पद पर कार्यरत हों। यदि उन्हें कभी भी, किसी भी कारणवश चयनित वेतनमान हेतु अयोग्य पाया जाता है तो इस आदेश को वापस ले लिया जाएगा तथा चयनित वेतनमान पर आहरित की गई राशि उनके द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को वापस लौटानी होगी।

संबंधित प्राथमिक शिक्षक (संगीत) का चयनित वेतनमान में वेतन निर्धारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर लागू वित्तीय नियम-22 (1)(ए)(2) के प्रावधानों के अनुसार ही नियत किया जाएगा। तदनुसार उनके पास विकल्प है - (1) नए वेतनमान में अपना वेतन चयनित वेतनमान देय तिथि से नियत करवा लें या (2) अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी वेतनवृद्धि की तारीख से नियत करवा लें। यदि संबंधित शिक्षक अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी अगली वेतनवृद्धि की तारीख से नियत करने का विकल्प चुनता है तो उसका वेतन उम्मीद चरण पर नियत किया जाएगा, यदि वह चरण उपलब्ध हो या पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में सामान्य वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान करते हुए चयनित वेतनमान पर अगला चरण उपलब्ध हो (i.e. in case, the individual opts for fixation of his/her pay w.e.f. the date of his/her next increment in the Senior Scale of the old post, his/her pay will have to be fixed at the same stage if the same stage is available or the next stage in the selection scale after allowing normal increment in the senior scale of the old post) वेतनवृद्धि का विकल्प संबंधित प्राचार्य को इस आदेश की प्राप्त होने की तिथि से एक महीने के भीतर प्रस्तुत करना होगा तथा इस संदर्भ में प्राथमिक शिक्षक (संगीत) द्वारा जो भी विकल्प दिया जाएगा वह अंतिम होगा। संबंधित प्राथमिक शिक्षक (संगीत) के विवरण निम्नानुसार हैं -

प्राथमिक शिक्षक (संगीत) : (पेंडिंग -2 ₹ 9,300-34,800 के साथ ग्रेड पे ₹ 4,800 (6<sup>वें</sup> सीपीसी) व लेवल-8 (7<sup>वें</sup> सीपीसी)

Sl. NO.	SEN. NO.	NAME	KV. WHERE WORKING	DATE OF APPT. IN THE POST IN WHICH ELIGIBLE FOR SELECTION SCALE (AND PRESENT APPT. IF THERE IS CHANGE SUBSEQUENTLY)	DATE OF DRAWING SENIOR SCALE/ PRE-REVISED SELECTION GRADE	DATE OF GRANT OF SELECTION SCALE
1	296	Shri Ali Bargohain	Khanapara	31.07.1985	01.08.1995	01.01.2020
2	357	Shri Raman Sharma	Lokra	15.04.1985	15.04.1997	01.01.2020
3	492	SmtM.Binokumari Devi	Akampat	23.01.1987	23.01.199	01.01.2020
4	516	SmtShashwati Das Purkayastha	Goalpara	25.03.1987	24.03.1999	01.01.2020
5	543	Smt K Rama	NPASHivramapally	27.06.1988	27.06.2000	01.01.2020
6	544	Shri Jagdish J Dalvi	VSN Nagour	01.08.1988	01.08.2000	01.01.2020
7	550	SmtParmila Saxena	No.-2 AFS Hindan	24.11.1988	24.11.2000	01.01.2020
8	560	Shri Nileshwar Mishra	No.-2 RWP Bela	23.07.1988	23.07.2000	01.01.2020
9	571	Dr Santosh Kumar Gurjar	MHOW	06.09.1988	06.09.2000	01.01.2020


THE DSC FOUND THE FOLLOWING PRT's (MUSIC) NOT ELIGIBLE FOR GRANT OF SELECTION SCALE FOR "NOT ATTENDING INSERVICE TRAINING COURSE DURING THE PRECEDING SIX YEARS' ON THE BASIS OF OATA SUBMITTED BY CONCERNED REGIONAL OFFICE -

Sl No.	SEN NO.	NAME OF TEACHER	KV WHERE WORKING	DATE OF APPT. IN THE POST IN WHICH ELIGIBLE FOR SELECTION SCALE (AND PRESENT APPT. IF THERE IS CHANGE SUBSEQUENTLY)	DATE OF DRAWING SENIOR SCALE PRE-REVISED SELECTION GRADE
1	396	Shri Sanjay Kumar Pawar	Kankar	29.10.1986	29.10.1998
2	539	Shri Jaswinder Singh	KV No. 1 Jammu	29.01.1988	29.1.2000
3	540	SmtSumita Nigam	Siddharthnagar	27.06.1988	27.06.2000
4	541	Shri Prakash Vyas	Rihand Nagar	23.07.1988	23.07.2000

5	542	SmtAbhayaDespande	RHE Pune	01.07.1988	01.07.2000
6	545	Shri Subhash Chander	Kathua	11.02.1988	11.02.2000
7	562	Smt Chandana De	Salt lake No. 2	12.09.1988	12.09.2000
8	565	SmtRatna Roy	IIM JOKA	28.07.1988	28.07.2000
9	566	Smt Mangala Chauhan	No. 3 Jaipur	04.07.1988	04.07.2000
10	567	SmtLipikaBhattarcharya	Kakinara	01.07.1988	01.07.2000
11	570	SmtReetaBhardhan	Vallabh Vidyanagar	27.06.1988	27.06.2000
12	574	Shri Paresh Kumar Joshi	Jabalpur TFRI	30.09.1988	30.09.2000
13	577	SmtSaraswati Srivastava	Basti Shift 1	30.09.1988	01.09.2001
14	578	Shri Lal Chand Maheswari	Andrews Ganj	04.07.1988	04.07.2000
15	579	Shri Naaik Rita B Dholakiya	ONGC Chandkheda	27.06.1988	27.06.2000
16	580	SmtDebjani Chakraborty	Command Hospital	19.12.1988	19.12.2000

THE SELECTION SCALE TO FOLLOWING PRT's (MUSIC) CAN NOT BE GRANTED AS HE/SHE IS RETIRED BEFORE COMING IN TO CONSIDERATION ZONE WITHIN 20% RESTRICTION

Sl.No.	SEN. NO.	NAME OF TEACHER	KV WHERE WORKING	DATE OF APPTT. IN THE POST IN WHICH ELIGIBLE FOR SELECTION SCALE (AND PRESENT APPTT. IF THERE IS CHANGE SUBSEQUENTLY)	DATE OF DRAWING SENIOR SCALE PRE-REVISED SELECTION GRADE
1	257	Shri M.NDabre	CME Pune	18.08.1983	18.08.1995
2	536	SmtM.AMythill	KV IISC	18.07.1988	14.07.2000
3	537	SmtHarinder Pal Kaur	No.-3 Jalandhar	28.01.1988	28.01.2000
4	538	SmtUjwala S Joshi	KV NMU Jaigaon	05.07.1988	05.07.2000
5	559	Dr (Smt) Sushma Bajpai	VRS Rihad Nagar	27.07.1988	26.07.2000
6	561	SmtUrmil Sharma	Gurgram 1 <sup>st</sup> Shift	27.06.1988	27.06.2000
7	564	Shri R.B. Panda	No. 2 Bhubaneswar	04.10.1988	04.10.2000
8	572	SmtKalpita Das	No.1HFC	22.07.1988	08.07.2000
9	573	Smt Gayatri Chakraborty	KV Dimapur	08.07.1988	30.09.2000
10	575	Shri Chitragangad Prasad Chandrakar	Basti Shift-1	24.09.1988	24.09.2000

  
 (शिव कुमार द्विवेदी)  
 सहायक आयुक्त (प्रशा.)

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सभी संभागीय कार्यालय को इस निवेदन के साथ कि वह अपने संभाग के अधीन आने वाले सभी केन्द्रीय विद्यालयों के प्राचार्य तथा संबंधित शिक्षकों को यह आदेश सूचनार्थ एवं समुचित अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करें।
2. उपायुक्त (शैक्षिक एवं ईडीपी) के.वि.सं. (मु.) नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ कि वे इस कार्यालय आदेश को के.वि.सं. (मु.) की वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. प्राचार्य संबंधित केन्द्रीय विद्यालय को इस निर्देश के साथ कि -
  - i) चयनित वेतनमान प्रदान करने से पहले आदेश में संबंधित शिक्षक के दिये गए विवरण उनके सेवा रिकार्ड से जांच लिए जाएं तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित शिक्षक की पदोन्नति की तिथि उनके चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि से पूर्व न हो। कोई भी त्रुटि पाए जाने पर आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचित करें।
  - ii) संबंधित शिक्षक से 3 प्रतियों में प्रपत्र में बचनबंध ले ली जाए, जिसकी एक प्रति उसकी सेवा पुस्तिका, दूसरी प्रति उनकी व्यक्तिगत मिसिल तथा तीसरी प्रति संबंधित संभागीय कार्यालय को सूचनार्थ अग्रेषित की जाए।
  - iii) इस आदेश को लागू करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला / विभागीय कार्रवाई लंबित ना हो और संबंधित शिक्षक ने चयनित वेतनमान देय तिथि से पिछले 6 वर्षों में 21 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण ग्रहण किया हो।
  - iv) अन्य विवरण जैसे केन्द्रीय विद्यालय का नाम, पदभार ग्रहण तिथि, बरिष्ठ वेतनमान देय तिथि भी जांच की जाए।